"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–86/2014/18 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	ओम नगर
		12	मदर टेरेसा नगर
		14	कांति कुमार भारतीय नगर
		33	शहीद राम प्रसाद बिस्मिल नगर
		64	बापू नगर
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	08	गुरूघासीदास नगर
		13	अम्बेडकर नगर
		44	गणेश नगर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	32	बसंत भाई पटेल
		66	त्रिपुर सुन्दरी नगर
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	61	वायरलेस कालोनी नगर
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	भक्त कंवर राम नगर
		11	गायत्री नगर
		17	विनोबा नगर
		18	विद्या नगर
		23	शहीद अस्फाक उल्ला नगर
		26	पं. मुन्नू लाल शुक्ल
		38	भगतसिंह नगर
		42	शहीद हेमु कालानी नगर
		48	भक्त माता करमा नगर
		49	श्यामा प्रसाद मुखर्जी
		52	शहीद मंगल पाण्डेय नगर
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	27	लाला लाजपतराय नगर
		45	कमला नेहरू नगर
		50	अशोक नगर
		53	वीर सावरकर नगर
		55	नामदेव नगर
		56	शास्त्री नगर
7.	महिला वर्ग	03	नेहरू नगर
		05	अयोध्या नगर
		07	तिलक नगर
		16	पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर
		20	प्रियदर्शनी नगर
		22	आजाद नगर
		25	सुभाष नगर
		28	शिवाजी नगर
		35	इंदिरा नगर
		36	तात्याटोपे नगर
		47	ठाकुर देव नगर
		51	रानी दुर्गावती नगर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Corporation BILASPUR distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	09	Om Nagar
		12	Mather Teresa Nagar
		14	Kranti Kumar Bhartiya Nagar
		33	Sahid Ramprasad Bismil Nagar
		64	Bapu Nagar
2.	Scheduled Caste (Female)	08	Guru Ghasidas Nagar
		13	Ambedkar Nagar
		44	Ganesh Nagar
3.	Scheduled Tribes	32	Basant Bhai Patel
		66	Tripur Sundri Nagar
4.	Scheduled Tribes (Female)	61	Vayarles Colony Nagar
5.	Other Backward Class	06	Bhakt Kanwar Ram Nagar
		11	Gaytri Nagar
		17	Vinoba Nagar
		18	Vidya Nagar
		23	Sahid Asphak Ulla Nagar
		26	Pandit Munnu Lal Shukl
		38	Bhagat Shing Nagar

(1)	(2)	(3)	(4)
		42	Sahid Hemu Colony Nagar
		48	Bhakt Mata Karma Nagar
		49	Syama Prasad Mukherji Nagar
		52	Sahid Mangal Pandey Nagar
6.	Other Backward Class (Female)	27	Lala Lajpatray Nagar
		45	Kamla Nehru Nagar
		50	Ashok Nagar
		53	Veer Savarkar Nagar
		55	Namdev Nagar
		56	Sastri Nagar
7.	Female	03	Nehru Nagar
		05	Ayodhya Nagar
		07	Tilak Nagar
		16	Pandit Dindayal Uppadhyaya Nagar
		20	Priydarshni Nagar
		22	Aazad Nagar
		25	Subhas Nagar
		28	Sivaji Nagar
		35	Indra Nagar
		36	Tatyatope Nagar
		47	Thakur Dev Nagar
		51	Rani Durgavati Nagar

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद तिफरा जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	डॉ. अम्बेडकर
		09	गुरूघासीदास
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	संत रविदास
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	पं. सुंदरलाल शर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	रानी दुर्गावती
		10	गौतम बुद्ध
		14	काली मंदिर
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	01	महाराणा प्रताप नगर
7.	महिला वर्ग	02	पं. दीनदयाल उपाध्याय
		13	सरदार पटेल
		15	स्वामी विवेकानंद

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-86/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council TIPHARA distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	05	Dr. Ambedkar
		09	Guru Ghasidas

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Sant Ravidas
3.	Scheduled Tribes	11	Pandit Sunderlal Sharma
4.	Scheduled Tribes (Female)	NILL	Nill
5.	Other Backward Class	04	Rani Durgavati
		10	Gautam Buddha
		14	Kali Mandir
6.	Other Backward Class (Female)	01	Maharana Pratap Nagar
7.	Female	02	Pandit Dindayal Upadhyay
		13	Sardar Patel
		15	Swami Vivekanand

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद रतनपुर जिला–बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	महावीर वार्ड
		11	रत्नेश्वर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	महात्मा गांधी
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	जवाहर लाल नेहरू
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	महामाया
		05	राजेन्द्र प्रसाद
		07	गिरजाबंद

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	08	लाल बहादुर शास्त्री
7.	महिला वर्ग	04	भगत सिंह
		14	14 बैरागवन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council. RATANPUR distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women). Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	09	Mahavir Ward
		11	Ratnesvar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	01	Mahatma Gandhi
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Javahar Lal Nehru

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	03	Mahamaya
		05	Rajendra Prasad
		07	Girjaband
6.	Other Backward Class (Female)	08	Lal Bahadur Shastri
7.	Female	04	Bhagat Singh
		14	14 Bairagvan

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद तखतपुर जिला-- बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	महात्मा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	अंवेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	निरंक	
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	नेताजी सुभाषचंद बोस वार्ड
		08	इंदिरा गांधी वार्ड
		09	असगर भाई वनक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02	महाराणा प्रताप वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		10	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		11	जनकपुर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council TAKHATPUR distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	05	Mahatma Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	NILL	
4.	Scheduled Tribes (Female)	NILL	
5.	Other Backward Class	07	Netaji Subhaschand Bose Ward
		08	Indra Gandhi Ward
		09	Asgar Bhai Vanak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	02	Maharana Pratap Ward
7.	Female	01	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		10	Dindayal Upadhayay Ward
		11	Janakpur Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सकरी जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	07	साहू पारा
		08	पुराना आवास पारा
		12	सूर्यवंशी पारा
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	05	दलदलीहा पारा
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	बटालियन
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	बजरंग पारा
		04	शांतिपारा
		09	नया आवास पारा
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	नेचर सिटी वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	सिंचाई कालोनी
		06	बस स्टैण्ड
		11	कुम्हार पारा

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(5).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat SAKRI distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	07	Sahu Para
		08	Purana Avas Para
		12	Suryavanshi Para
2.	Scheduled Caste (Female)	05	Daldaliha Para
3.	Scheduled Tribes	10	Batalian
4.	Scheduled Tribes (Female)	NILL	
5.	Other Backward Class	03	Bajrang Para
		04	Shanti Para
		09	Naya Avas Para
6.	Other Backward Class (Female)	15	Nature City Ward
7.	Female	01	Sincai Colony
		06	Bus Stand
		11	Kumhar Para

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18(6) .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, कोटा जिला–बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	07	राजीव गांधी
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	————
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	डॉ. अम्बेडकर
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	महात्मा गांधी
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	जवाहर लाल नेहरू
		11	चण्डीमाई
		14	राममंदिर
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	गया प्रसाद दुबे
7.	महिला वर्ग	08	हनुमान मंदिर
		09	प्रियदर्शनी वार्ड
		13	ठाकुर देव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(6).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat KOTA distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	07	Rajiv Gandhi
2.	Scheduled Caste (Female)	NILL	
3.	Scheduled Tribes	01	Dr. Ambedkar
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Mahatma Gandhi
5.	Other Backward Class	06	Javharlal Nehru
		11	Candimai
		14	Ram Mandir
6.	Other Backward Class (Female)	10	Gayaprasad Dubey
7.	Female	08	Hanuman Mandir
		09	Priydarshni Ward
		13	Thakur Dev

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का

आरक्षण) **नियम** 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, बोदरी जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की **सूची** निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	पं. रविशंकर
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	03	डॉ. अम्बेडकर
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	06	रानी दुर्गावती
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	सरदार वल्लभभाई पटेल
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	लाल बहादुर शास्त्री
		10	विनोबा सर्वोदय
		13	झूलेलाल
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	चंद्रशेखर आजाद
7.	महिला वर्ग	05	महात्मा गांधी
		12	इंदिरा गांधी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (7) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(7).— the list of the Reservation of Wards for. Nagar panchayat Bodri distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	02	Pt. Ravishankar
2.	Scheduled Caste (Female)	03	Dr. Ambedkar
3.	Scheduled Tribes	06	Rani Durgawati
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Sardar Vallabhbhai Patel
5.	Other Backward Class	07	Lal Bahadur Sastri
		10	Vinoba Sarvodaya
		13	Jhulelal
6.	Other Backward Class (Female)	11	Chandrashekhara Azad
7.	Female	05	Mahatma Gandhi
		12	Indira Gandhi

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पेण्ड्रा जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	डा. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	नेताजी सुभाष वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	सरदार पटेल
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	बजरंग वार्ड
		08	महात्मा गांधी वार्ड
		15	चंद्रशेखर आजाद
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	जवाहर लाल नेहरू
7.	महिला वर्ग	03	लाल बहादुर शास्त्री
		09	इंदिरा गांधी
		11	राजीव गांधी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (8) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(8).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat. Pendra distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	06	Dr. Ambedkar
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	Nil
3.	Scheduled Tribes	02	Netaji Subhas Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Sardar Patel
5.	Other Backward Class	07	Bajrang Ward
		08	Mahatma Gandhi Ward
		15	Chandrashekhar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Jawahar La Nehru
7.	Female	03	Lal Bahadur Sastri
		09	Indira Gandhi
		11	Rajiv Gandhi

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (9).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सिरगिट्टी जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	मिनीमाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	01	भीम राम अम्बेडकर
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	बूढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	संत कबीरदास वार्ड
		08	महाराणा प्रताप वार्ड
		10	मां संतोषी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	मां शारदा वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	पं. सुंदरलाल शर्मा
		09	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		12	चंद्रशेखर आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (9) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(9).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat. Sirgitti distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	02	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	01	Bhimrao Ambedkar
3.	Scheduled Tribes	15	Budhadev Wars
4.	Scheduled Tribes (Female)	NIL	Nil
5.	Other Backward Class	07	Sant Kabirdas Ward
		08	Maharana Pratap Ward
		10	Maa Santoshi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Maa Sharda Ward
7.	Female	03	Pt. Sunderlal Sharma
		09	Swami Vivekanand Ward
		12	Chandrashekhara Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक. एफ-1-86/2014/18 (10).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत बिल्हा जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	रानी दुर्गावती
		09	गुरू घासीदास
		15	राजीव गांधी
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	11	भीमराव अम्बेडकर
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	05	महात्मा गांधी
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	गुरूनानक वार्ड
		04	आजाद नगर
		12	जगजीवन राम
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	06	मिनीमाता
7.	महिला वर्ग	07	पं. जवाहर लाल नेहरू
		10	भक्त कंवर राम
		14	सरदार वल्लभ भाई पटेल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (10) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(10).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat. Bilha distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	08	Rani Durgawati
		09	Guru Ghasidas
		15	Rajiv Gandhi
2.	Scheduled Caste (Female)	11	Bhimrao Ambedkar
3.	Scheduled Tribes	05	Mahatma Gandhi
4.	Scheduled Tribes (Female)	NIL	
5.	Other Backward Class	02	Gurunanak Ward
		04	Azad Nagar
		12	Jagjivan Ram
6.	Other Backward Class (Female)	06	Minimata
7.	Female	07	Pt. Jawahar Lal Nehru
		10	Bhakt Kanwar Ram
		14	Sardar Vallabhbhai Patel

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (11).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत मल्हार जिला–बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	वृंदावन वार्ड
		08	शांतिनगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	परउदेव वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	07	बूढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	राधाकृष्ण वार्ड
		11	गुहानिषाद वार्ड
		13	मध्य नगरी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	परमेश्वरा वार्ड
7.	महिला वर्ग	04	बरमबाबा वार्ड
		12	माँ डिडनेश्वरी वार्ड
		15	आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (11) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(11).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat. Malhar distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	01	Vrindavan Ward
		08	Shantinagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Paraudev Ward
3.	Scheduled Tribes	07	Budhadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	NIL	
5.	Other Backward Class	03	Radhakrishna Ward
		11	Guhanishad Ward
		13	Madhya Nagari Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Parmeshwara Ward
7.	Female	04	Barambaba Ward
		12	Maa Didneshwari Ward
		15	Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (12).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, गौरेला जिला– बिलासपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची-

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	मधुरा प्रसाद दुबे वार्ड
		13	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	11	राजीव गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	इंदिरा गांधी वार्ड
		06	महात्मा गांधी वार्ड
		07	सुभाषचंद बोस वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02	डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	08	भगत सिंह वार्ड
		12	संजय गांधी वार्ड
		14	डा.भंवर सिंह पोर्ते वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–86/2014/18 (12) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-86/2014/18(12).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat. GAURELA distt. BILASPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	15	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NILL	Nill
3.	Scheduled Tribes	01	Mathura Prasad Dubey Ward
		13	Maharani Laxmi Bai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	11	Rajniv Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	05	Indra Gandhi Ward
		06	Mahatma Gandhi Ward
		07	Subhascand Bose Ward
6.	Other Backward Class (Female)	02	Dr. Rajendra Prasad Ward
7.	Female	08	Bhagat Singh Ward
		12	Sanjay Gandhi Ward
		14	Dr. Bhavar Singh Porte Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.